



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042026-271788
CG-DL-E-13042026-271788

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948

No. 255]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 279(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) (चौथा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये 15 अप्रैल, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“10. अतिभराई के लिए फीस की दर:—

(1) किसी यांत्रिक यान के चालक, स्वामी या व्यक्ति के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने वाला कोई यांत्रिक यान अनुज्ञेय अधिकतम सकल यान भार से अधिक लदान हुआ पाया जाता है, तो अधिक भार ब्योरे के साथ ऐसे यान का ब्यौरा राष्ट्रीय यान रजिस्टर (वाहन) पर ज्ञापित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित और फीस प्लाजा पर संस्थापित किसी उपयुक्त भार मापन युक्ति के माध्यम से यांत्रिक यान के लदानरहित भार और उस पर लादे गए भार के कुल योग की पहचान की जाएगी और यह सकल यान भार कटौती के पश्चात अतिरिक्त भार, यदि कोई हो, का अवधारण करने के लिए आधार होगा।

परंतु जहां फीस प्लाजा पर भार मापने वाला ऐसी कोई युक्ति संस्थापित नहीं की गयी है, वहां अतिभरार्ई के लिए कोई फीस उद्गृहीत और संग्रहीत नहीं की जायेगी और यथास्थिति, यांत्रिक यान का चालक, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, ऐसे यान हेतु लागू फीस का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(3) यथास्थिति, यांत्रिक यान का चालक, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करते समय अतिभारित यान के लिए फीस का संदाय करने के लिए दायी होगा, जो डिजिटल संदाय साधनों जिसके अंतर्गत फास्टैग या एकल भुगतान प्रणाली (यूपीआई) या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन भी है, को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर संग्रहीत की जाएगी, अर्थात्:—

सारणी

अधिकतम अनुज्ञेय सकल यान भार से अतिरिक्त भार की प्रतिशतता	फीस की आधार दर के लिए गुणक कारक	फीस
(1)	(2)	(3)
10% तक	कोई अतिभार फीस नहीं	[[नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन यांत्रिक यान के ऐसे प्रवर्ग के लिए लागू फीस) x (गुणक कारक)]]
10% से अधिक किन्तु 40% तक	2	
40% से अधिक	4	

उदाहरण: (क) यदि किसी तीन-अक्षीय रिजिड ट्रक के लिए अनुज्ञेय अधिकतम सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) 28.5 टन है, तो उसका 110 प्रतिशत (अर्थात् अनुज्ञेय अधिकतम सकल यान भार से 10 प्रतिशत अधिक) 31.35 टन तथा 140 प्रतिशत (अर्थात् अनुज्ञेय अधिकतम सकल यान भार से 40 प्रतिशत अधिक) 39.90 टन होगा। 31.35 टन तक किसी प्रकार की अतिभार फीस उद्गृहीत नहीं होगी और, 31.35 टन से अधिक भार के लिए उक्त ट्रक के लिए अतिभार फीस की गणना नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट की जाएगी, अर्थात्—

सारणी

अधिकतम अनुज्ञेय सकल यान भार (मीट्रिक टन में)	फीस की आधार दर के लिए गुणक कारक	फीस
(1)	(2)	(3)
31.35 टन तक	कोई अतिभार फीस नहीं	[[नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन यांत्रिक यान का ऐसा प्रवर्ग के लिए लागू फीस) x (गुणक कारक)]]
31.35 से 39.90 टन तक	2	
39.90 टन से अधिक	4	

- (4) यदि ऐसा यान बिना फास्टैग या विधिमान्य, कार्यात्मक फास्टैग के राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश करता है, तो उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार फीस दरों की गणना के लिए नियम 6 के उपनियम 3 के उपबंध भी लागू होंगे।
- (5) इस नियम के उपबंध इस नियम के प्रारंभ से पहले निष्पादित प्राइवेट विनिधान निवेश परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे जब तक कि रियायतकर्ता किसी प्रतिकर की मांग के बिना इस उपबंध द्वारा शासित होने के लिए स्पष्ट सहमति व्यक्त न करे।

[फा. सं एच-25016/01/2026-टोल/ई-263711]

चेतनानंद सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात संख्यांक सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2010; सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011; सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011; सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2013; सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014; सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवंबर, 2014; सा.का.नि. 2 (अ), तारीख 29 दिसंबर, 2014; सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 8 जून, 2016; सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 2 दिसंबर, 2016; सा.का.नि. 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017; सा.का.नि. 427(अ), तारीख 7 मई, 2018; सा.का.नि. 920(अ), तारीख 25 सितंबर, 2018; सा.का.नि. 942(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2019; सा.का.नि. 298(अ), तारीख 15 मई, 2020; सा.का.नि. 523(अ), तारीख 24 अगस्त, 2020; सा.का.नि. 804(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2020; सा.का.नि. 467(अ), तारीख 24 जून, 2022; सा.का.नि. 725 (अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2023; सा.का.नि. 556 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2024; सा.का.नि. 388 (अ), तारीख 17 जून, 2025; सा.का.नि. 437 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2025; सा.का.नि. 734 (अ), तारीख 3 अक्टूबर, 2025; सा.का.नि. 01 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 2025; सा.का.नि. 107 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2026; सा.का.नि 191 (अ), तारीख 17 मार्च, 2026 और सा.का.नि 251 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2026

G.S.R. 279(E).— In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) (Fourth Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 15th day of April, 2026.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, for rule 10, the following rule shall be substituted, namely:—

“10. Rate of Fee for overloading.— (1) Without prejudice to the liability of the driver, owner or person in-charge of a mechanical vehicle under any law for the time being in force, where a mechanical vehicle using a National Highway is found to be loaded in excess of the permissible maximum gross vehicle weight, the details of such vehicle alongwith excess load details shall be reported to the National Vehicle Register (VAHAN).

(2) The sum total of the unladen weight of mechanical vehicle and the weight of the load carried by it shall be identified through any appropriate weight measurement device as may be notified, by the Central Government and installed at the fee plaza and shall form the basis for determination of excess load, if any, after deduction of the gross vehicle weight:

Provided that where no such weight measurement device has been installed at the fee plaza, no fee for overloading shall be levied and collected, and the driver, owner or person in-charge of the mechanical vehicle, as the case may be, shall be liable to pay fee applicable for such vehicle only.

(3) The driver, owner or person in-charge of the mechanical vehicle, as the case may be, shall be liable to pay fee for the overloaded vehicle using a National Highways, which shall be collected through digital payment means including FASTag or Unified Payment Interface (UPI) or any other electronic means as may be notified by the Central Government, at the rates specified in the Table below, namely:—

TABLE

Percentage of excess load over Maximum permissible gross vehicular weight.	Multiplying factor to base rate of fees.	Fees.
(1)	(2)	(3)
Upto 10%	No overload fee	[(Fees applicable for such category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of rule 4) x (multiplying factor)]
Over 10% but upto 40%	2	
Over 40%	4	

Illustration: If for a three-axle rigid truck, the permissible Gross Vehicular Weight (GVW) is 28.5 tonnes. It's 110% (i.e. 10% excess load over maximum permissible gross vehicular weight) is 31.35 tonnes and 140% (i.e. 40% excess load over maximum permissible gross vehicular weight) is 39.90 tonnes. No overload fee shall be levied upto 31.35 tonnes and above 31.35 tonnes, calculation of overload fee for this truck shall be as specified in the Table below namely:-

Table

Maximum permissible gross vehicular weight (in metric tonnes)	Multiplying factor to base rate of fees	Fees
(1)	(2)	(3)
Upto 31.35 T	No overload fee	[(Fees applicable for such category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of rule 4) x (multiplying factor)]
Over 31.35 upto 39.90 T	2	
Over 39.90 T	4	

(4) If such a vehicle enters a National Highway without a FASTag or valid, functional FASTags as the case may be, the provisions of sub rule (3) of Rule 6 shall also apply for calculation of fee rates as per the provisions of sub-rule (3).

(5) The provisions of this rule shall not apply to private investment projects executed prior to commencement of this rule unless the concessionaire expresses their consent to be governed by this provision without demand for any compensation.

[F. No. H-25016/01/2026-Toll/E-263711]

CHETNANAND SINGH, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 838 (E), dated the 5th December, 2008 and were subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 950(E), dated the 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E), dated the 12th January, 2011, G.S.R. 756(E), dated the 12th October, 2011, G.S.R. 778(E), dated the 16th December, 2013, G.S.R. 26(E), dated the 16th January, 2014, G.S.R. 831(E), dated the 21st November, 2014, G.S.R. 2(E), dated the 29th December, 2014, G.S.R. 220(E), dated the 23rd March, 2015, G.S.R. 585(E), dated the 8th June, 2016, G.S.R. 1114(E), dated the 2nd December, 2016, G.S.R. 248(E), dated the 14th March, 2017, G.S.R. 427(E), dated the 7th May, 2018, G.S.R. 920(E), dated the 25th September, 2018, G.S.R. 942(E), dated the 20th December, 2019, G.S.R. 298(E), dated the 15th May, 2020, G.S.R. 523(E), dated the 24th August, 2020; G.S.R. 804(E), dated the 30th December, 2020, G.S.R. 467 (E) dated the 24th June, 2022, G.S.R. 725 (E), dated the 6th October, 2023, G.S.R. 556 (E), dated the 9th September, 2024, G.S.R. 388 (E) dated the 17th June, 2025, G.S.R. 437 (E) dated the 1st July, 2025, G.S.R. 734 (E) dated the 3rd October, 2025, G.S.R. 01 (E) dated the 31st December, 2025, G.S.R. 107 (E) dated the 4th February, 2026, G.S.R. 191 (E) dated the 17th March, 2026 and G.S.R. 251 (E) dated the 2nd April, 2026.